2/6/15 पशुपालन कैम्प कार्यालय नारायणपुरा देवर
ढाणी मारू राम उप प्रतिवादी
तहसीलदार कुचामन उप० वादी के प्रार्थना पत्र
पेशी प्रतिवादी तहसीलदार कुचामन के
जवाब पेश किया प्रार्थी की प्रार्थना पत्र
[illegible] 151CPC की प्रार्थना पत्र
खारिज की गयी है वादी का वाद ऐन प्रतिवादी
का जवाब व उभय पक्षकारों की बहस के
पश्चात गांव हरीपुरा के ख० 155 पक्का
खातेदारी याची है ख० 155 से मु० पक्का
है वादी अर्थात वाद को खारिज गयी
करने पर याची का वाद खारिज
खारिज होने से अपील किया जाता है
[illegible] नगर से कम होकर दायर खारिज
है।

निर्णय आज दिनांक 2/6/15 को तय कैम्प
कार्यालय नारायण पुरा कुचामन उपस्थ।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)